

न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार शर्मा (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
(लिंक अधिकारी)

आपराधिक विविध सं0 : 117/2026

(सीआईएस नं0 211/2026 एवं CNR No. RJBR01000568-2026)

विष्णु तोमर उर्फ विष्णु परमार पुत्र विजय सिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी नदोल का पुरा
थाना अम्बाह जिला मुरैना (म0प्र0) —प्रार्थी/अभियुक्त

:: बनाम ::

राज0 राज्य जरिये लोक अभियोजक, बारां (राज0)

—अप्रार्थी/विपक्षी

जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.

एफ0आई0आर0 नं0 92/2025 पुलिस थाना कस्बाथाना जिला बारां

अपराध धारा 309(6) बी0एन0एस0 व 3/25 आयुध अधिनियम

उपस्थित:—

- 1— श्री महेश गौतम, अधिवक्ता— प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से
- 2— श्री तेजेन्द्र शर्मा, लोक अभियोजक— अप्रार्थी/विपक्षी की ओर से

—:: आदेश ::—

दिनांक: 01.04.2026

1— प्रार्थी/अभियुक्त विष्णु तोमर उर्फ विष्णु परमार की ओर से धारा 483 बी0एन0एस0 के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना कस्बाथाना की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 92/2025 के संदर्भ में, उसका जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 480 बी0एन0एस0एस विद्वान अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहाबाद द्वारा दिनांक 17.02.2026 को खारिज किये जाने के उपरान्त इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई, जिनकी ओर से केस डायरी पेश हुई।

2— श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां अवकाश पर होने के कारण यह जमानत आवेदन मुझ विशिष्ट न्यायाधीश, अजा/जजा (अ0नि0) प्रकरण, बारां के समक्ष बतौर लिंक अधिकारी सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्रस्तुत हुआ है।

3— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि फरियादी हाकम जाटव ने मय अपनी पत्नी रविना जाटव के चौकी देवरी थाना कस्बाथाना पर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि वह उसकी पत्नी को उसकी मोटरसाईकिल सं0 आर.जे. 28 एफ.एस. 1122 से फिल्ड में गांव मडी साभरसिगा से अपने घर पर आ रहे थे। समय साढ़े 5 बजे करीब मटियाखारा के पास सामने से एक मोटरसाईकिल से 3 व्यक्ति आए और उनके मोटरसाईकिल के सामने अपनी मोटरसाईकिल लगा दी तथा अपनी मोटरसाईकिल से उतर कर एक व्यक्ति ने कट्टा तान दिया। एक व्यक्ति ने उसकी पत्नी के कान के टोप्स

सोने के, मंगलसूत्र सोने, नाक की बाली सोने की तथा उसके पर्स से पैसे व मोबाईल जिसमें सिम जीओ नंबर 7878438263 है तथा उसकी मोटरसाईकिल उनसे लूट कर देवरी की तरफ भाग गए। उसकी पत्नी अपने जैवरों को सामने आने पर पहचान सकती है..... इत्यादि।

4— उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना कस्बाथाना पर एफआईआर संख्या 92/2025 अंतर्गत धारा 309(6) बी0एन0एस0 में दर्ज कर प्रकरण में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 309(6) बी0एन0एस0 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अपराध बनना पाया गया है। प्रकरण में अनुसंधान जैरकार है।

5— जमानत आवेदन के संबंध में उभय पक्ष को सुना गया एवं केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी पर प्रार्थी/अभियुक्त **विष्णु तौमर उर्फ विष्णु परमार** के विरुद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड निम्न होना बताया गया है:—

क्र0सं0	मुकदमा नं0	धारा	थाना
01	467 / 2005	323, 324, 504, 34 भा0दं0सं0	अम्बाह
02	177 / 2006	379 भा0दं0सं0	अम्बाह
03	65 / 2007	379 भा0दं0सं0	अम्बाह
04	241 / 2009	452, 323, 294, 506—बी भा0दं0सं0	अम्बाह
05	408 / 2009	341, 323, 330, 294, 506—बी , 34 भा0दं0सं0	अम्बाह
06	458 / 2009	25, 27 आर्म्स एक्ट	अम्बाह
07	379 / 2010	307, 34 भा0दं0सं0	अम्बाह
08	320 / 2011	8 / 15 एनडीपीएस एक्ट	निहालगंज धौलपुर
09	399 / 2012	341, 323, 294, 506 बी, 427, 34 भा0दं0सं0, 3(1)द10 एससी/एसटी एक्ट	अम्बाह
10	488 / 2012	379 भा0दं0सं0	अम्बाह
11	179 / 2012	147, 148, 149, 307 भा0दं0सं0 व 25, 27 आर्म्स एक्ट	दिमनी
12	422 / 2014	379 भा0दं0सं0	थाना सिटी कोतवाली मुरैना
13	410 / 2015	323, 327, 294, 452, 506बी, 34 भा0दं0सं0	अम्बाह
14	426 / 2015	376(2)(जी), 366, 363, 506, 34 भा0दं0सं0, 7, 8 पोक्सो एक्ट, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2) 5 एससी/एसटी एक्ट	अम्बाह
15	354 / 2019	327, 336, 294, 323, 506 भा0दं0सं0	अम्बाह
16	349 / 2019	336, 34 भा0दं0सं0	अम्बाह
17	70 / 2022	25, 27 आर्म्स एक्ट	सिंहोनिया

18	80/2024	25(1-एए) आर्म्स एक्ट	थाना सिरसी गुना
19	217/2024	25, 27 आर्म्स एक्ट	अम्बाह
20	310/2025	115-2, 296 बी0एन0एस0	अम्बाह
21	538/2025	25, 27 आर्म्स एक्ट	अम्बाह

6— बहस के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, उसका घटना से कोई संबंध नहीं रहा है। फरियादी की मिथ्या रिपोर्ट पर दर्ज इस प्रकरण में प्रार्थी को दिनांक 08.01.2026 को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण के सहअभियुक्त रामलाल लोढा का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.01.2026 द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला सहअभियुक्त से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी न्यायालय हाजा द्वारा लगायी जाने वाली सभी शर्तों का कानून के अनुसार पालन करने को तैयार है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की।

7— वितर्क में विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व के 21 आपराधिक प्रकरण लंबित होना बताते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का मामला अन्य अभियुक्तगण से भिन्न प्रकृति का होना बताते हुए उसका जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8— उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

9— रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अनुसार फरियादी व उसकी पत्नी जो मोटरसाईकिल से घर आ रहे थे तो मटियाखारा के पास सामने से एक मोटरसाईकिल पर तीन व्यक्तियों ने आकर कट्टा तानकर फरियादी की पत्नी से कान के सोने के टोप्स, सोने का मंगलसूत्र एवं सोने की नाक की बाली तथा फरियादी के पर्स से पैसे, मोबाईल तथा उसकी मोटरसाईकिल को लूट कर ले जाने के आरोप हैं। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी व उसकी पत्नी से लूट कारित करना बताया गया है जो अपने आप में गम्भीर प्रकृति का अपराध है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त विष्णु सिंह परमार की सूचना पर दो कारतूस जिंदा 12 बोर व एक चाकू लोहा धारदार बरामद हुआ है।

10— प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क रहे हैं कि प्रकरण के सह-अभियुक्त रामलाल लोढा का जमानत आवेदन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08.01.2026 द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला सह-अभियुक्त से भिन्न नहीं है। इस संबंध में विचारणीय तथ्य यह है कि केस डायरी में

प्रार्थी/अभियुक्त विष्णु तोमर उर्फ विष्णु सिंह परमार का जो आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार उसके विरुद्ध पूर्व के 21 आपराधिक प्रकरण लंबित होना बताये गए हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय **“श्रीभान बनाम राज0 राज्य, 2023 (3) आर.एल.डब्ल्यू. 1809 (राज0)”** में यह अवधारित किया गया है कि इस जमानत प्रार्थनापत्र की स्टेज पर अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण लंबित होने के आधार पर सह-अभियुक्त से भिन्न मामला माना जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में जहां प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व के 21 आपराधिक प्रकरण लंबित हैं, जिससे यह मामला सह-अभियुक्त रामलाल से भिन्न होना प्रकट होता है।

11— उपरोक्तानुसार प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता तथा प्रार्थी/अभियुक्त के पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त विष्णु तोमर उर्फ विष्णु सिंह परमार को जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

12— परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त विष्णु तोमर उर्फ विष्णु परमार पुत्र विजय सिंह की ओर से प्रस्तुत किया गया यह जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बसंबंध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 92/2025 थाना कस्बाथाना)** एतद् द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(लोकेश कुमार शर्मा)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज0)
(लिंक अधिकारी)

13— आदेश आज दिनांक **01.04.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार शर्मा)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज0)
(लिंक अधिकारी)